

28.2.18

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप.
अनुपासक / पीठारी अधिकारी
दोरे पर अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईम्स
दिनांक-28-2-18 को पेश हो

3.4.18

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप.
अनुपासक / पीठारी अधिकारी
दोरे पर अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईम्स
दिनांक-8-5-18 को पेश हो

08/05/18

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप.
अनुपासक / पीठारी अधिकारी
दोरे पर अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईम्स
दिनांक-22-06-18 को पेश हो

4
24/06/18
बदलवन्द

22/06/18

पत्रावली खाज एजस लौक अदालत अग्रिमतः
म्याम आपके दृष्टि-2018 के तहत कम्प स्यत
अटल सेवा केंद्र लावता में पेश हुई। वकील
वादीगण ने हाजिर होकर मुताबिक राजीनामा
दावा डिक्री किया जसे का निर्वदत किया।
वकील वादीगण के निर्वदत पर तहसीलदार
खण्डेला ने कोई आपत्ति जाहीर नहीं की।

Handwritten notes and a stamp on the left side of the page.

रामचन्द्र

गोपाल

बंशु

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व
रैकॉर्ड एवं पेशावृद्धा राजीनामा का अवलोकन
किया गया जिनके अवलोकन से एवं लोक
अदालत की भावना से वादीगण का वाद
स्वीकार किया जसे योग्य पाया जाने पर
स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा इस अशय
की जाती की जाती है कि:-

आदेश

तब ग्राम फतेहपुर प.ह. लावता तह. खण्डेला
अवधि कृषि क्षमि ख. नं. 216, 228 एका 357ह.



हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर य तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख से जारी हुए
	<p>व ख. नं. 238 एका 0.48 हे. में से भूमि ख. नं. 228 एका 1.85 हे. में पश्चिमी भाग एका 0.45 हे. का उत्तिवाही सं. 1 को एवं शेष एका 1.36 हे. का उत्तिवाही सं. 2 ता 4 को एवं ख. नं. 238 एका 0.48 हे. सम्पूर्ण का उत्तिवाही सं. 2 ता 4 को संलग्न नजी नक्शानुसार तथा ख. नं. 216 एका 1.72 हे. में एका 0.86 हे. का उत्तिवाही सं. 1 को एवं एका 0.21 हे. का उत्तिवाही सं. 2 ता 4 को एवं एका 0.43 हे. का वारीगण सं. 1 व 2 को एवं एका 0.22 हे. का उत्तिवाही सं. 2 ता 4 को खातेदार काशतकार चौधित किया जाता है। तथा ख. नं. 228 में बने उत्तिवाही सं. 1 के मन्नात तक जाते का तथा ख. नं. 216 में उत्तिवाही सं. 1 के हिस्से में आर्द भूमि तक आते जाते का टास्ता नजी नक्शा में दशमि अनुसार दर्ज किया जावे।</p> <p>तत ग्राम तिवाही की कापी प. ह. एका तथा तह. एका अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 19 ता 30, 32 ता 36, 41, 43 ता 45 एका 13.17 हे. में मुतल चौद्र पुत्र अमल के नाम दर्ज 1/12 हिस्सा का वारीगण को खातेदार काशतकार चौधित किया जाता है। उत्तिवाही सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/24 अदस्तके रहेगा। उक्त भूमियों से मुतल चौद्र पुत्र अमल व उत्तिवाही सं. 6 का नाम हजफ किया जाता है। उपरोक्त अनुसार विवाहीत पदनाओं के एक हिस्से आधी भूमियों पर बंका हत दर्ज किया जावे। अतनुसार एजत्व रेकोर्ड में असल दामद हो। तदनुसार पचा डिफ्री जारी हो। पत्रावली फॉस्त शुमार होला नम्बर से काम हो तथा काद तलमील दाबिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय मजमें आम सुनाया गया।</p>	

20/6/18
 सहायक शाख
 (RAS)
 सहायक कलक्टर
 (कास्ट ट्रेक) सण्डेल

मूल वाद में डिफ्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), खण्डेला, (सीकर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

उनवान ① अर्जुनलाल * बनाम ① कर्मनाटाग्रण *

दावा बाबत उद्घोषणा, तलाक़ा व त्वासी निषेधात

मुकदमा नम्बर :- 13/2018

निर्णय दिनांक :- 22/06/18

यह मुकदमा आज वास्तु इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी

मिनजानिब मुददई रुबरु श्री मंगल सिंह

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है और डिफ्री दी जाती है कि -

तत्काल प्रत्येक पक्ष (लातत तह खण्डेला अवस्थित कृषि भूमि ख.नं. 216, 228
ख.नं. 357 ई. व ख.नं. 238 ख.नं. 048 ई. में से भूमि ख.नं. 228 ख.नं. 185 ई. में
पश्चिमी भाग ख.नं. 049 ई. का प्रतिवादी सं. 1 को एवं शीश ख.नं. 1:21 ई. का प्रतिवादी
सं. 2 ता 4 को एवं ख.नं. 238 ख.नं. 048 ई. सम्पूर्ण का प्रतिवादी सं. 2 ता 4 को
खण्डेला तलाक़ा तथा ख.नं. 216 ख.नं. 1:72 ई. में ख.नं. 081 ई. का
प्रतिवादी सं. 1 को एवं ख.नं. 0:11 ई. का प्रतिवादी सं. 2 ता 4 को एवं ख.नं.
0:43 ई. का वादीगण सं. 1 न 2 को *.

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 22/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(भागीरथ शाख)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
खण्डेला (सीकर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प			
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
6 कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
7 आदेशिका की तामील		कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

* ② जगन्नाथ पुत्रागण चौटू जाति जाट नि. तिवाड़ी की टाणी
तन फतेहपुर-पलमता तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)
— वादीगण

विषय

* फतल पुत्र तना

- ② रामचन्द्र ③ गोपाल ④ बंशी पुत्रागण चौटू
⑤ दाखु देवी पुत्री चौटू ⑥ सोनी देवी पुत्री तना फतीणपूर
समस्त जाति जाट नि. तिवाड़ी की टाणी तन फतेहपुर-
पलमता तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)
⑦ भूमिघापी तहसीलदाखण्डेला जिला सीकर (राज.)
⑧ मंत्रीज पंजाब नेशनल बैंक शाखा श्रीमाधौपुर।



— उतिवादीगण

* एवं एका 0.22 हे. का उतिवादी सं. 1 ता 4 को खातेदा काशतलाए
घोषित किया जाता है। तथा ख. नं. 228 में कते उतिवादी सं. 1 के
मलान तक जाने का तथा ख. नं. 216 में उतिवादी सं. 1 के हिस्से
में आयी भूमि तक आने जाने का रास्ता तजरी नक्शा में दर्शाये
अनुसार दर्ज किया जावे।

तन ग्राम तिवाड़ी की टाणी प. ह. पलमता तह. खण्डेला अधिषित
शुषि भूमि ख. नं. 19 ता 30, 32 ता 36, 41, 43 ता 45 एका 13.17 हे. में
मूलक चौटू पुत्र अमरा के नाम दर्ज 1/12 हिस्सा का डिवाइजन को
खातेदा काशतलाए घोषित किया जाता है। उतिवादी सं. 1 के नाम
दर्ज हिस्सा 1/24 बदस्तूर रहेगा। उक्त भूमियों से मूलक चौटू
पुत्र अमरा व उतिवादी सं. 6 का नाम हजक किया जाता है। उपरोक्त मुता
विवाहित पत्नियों के हल हिस्से आयी भूमियों पर बैंक एत दर्ज
किया जावे। उक्तानुसार एजस रेकोर्ड में अमल दामद है।

24/6/18
शाख
(R.A.S)
सहायक कलेक्टर
(फाटू ट्रेक) खण्डेला